कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला–दुर्ग

निविदा सूचना

क्रमांक/लो.क.वि./जोन–2/2021 1860 भिलाई, दिनांक 21/01/21

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारो से लोक निर्माण विभाग के भवन निर्माण एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015/ रोड एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015, विद्युत एस.ओ.आर. 01.08.2015 एवं अद्यतन संशोधन के आधार पर कम/अधिक एवं आयटम दर पर निम्नलिखित कार्य हेतु **दिनांक 11.02.2021 को सायं 5.30 बजे** तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है, **प्राप्त निविदा दिनांक 12.02.2021 को प्रातः 11.00 बजे खोली जावेगी।** निविदा प्रपत्र हेतु **आवेदन दिनांक 04.02.2021 को सांय 5.00 बजे** तक स्वीकार किये जायेगें।

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	ठेकेदारो की श्रेणी	फार्म
1	रामनगर मुक्तिधाम में नया बोर कराने बाबत्।	0.90	2,000.00	300.00	30 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म 'ए' एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
2	निगम मद अंतर्गत रामनगर मुक्तिधाम में रख–रखाव कार्य। (वार्षिक कार्य)	19.22	15,000.00	750.00	12 माह	'द' एवं प्रवर	फार्म 'बी' एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम

नियम एवं शर्ते:– 1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। 2. निविदा स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जावेंगे। 3. धरोहर राशि कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से संयुक्त एफ.डी.आर. तथा निविदा प्रपत्र निविदा मूल्य की राशि का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से आयुक्त के नाम पर **डी.डी.** तथा प्रत्येक कार्य के लिये जीवित ठेकेदारी **ई–पंजीयन,** व्यवसायिक कर प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, जी.एस.टी. प्रमाण–पत्र, जीवित बैंक सालवेंसी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति लिफाफा **"क"** में प्रस्तुत करना है, एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिफाफा **"ख"** में प्रस्तुत करना होगा। 4. कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी। 5. सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी भी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। 6. नगर निगम की वाहनों से निर्माण कार्य हेतु पानी लेने पर देयक से 1% राशि की कटौती की जावेगी, किन्तु निगम वाहनों से जल उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। निगम क्षेत्र के स्त्रोंतों से स्वयं के वाहनों से पानी लेने पर 0.5% की कटौती की जावेगी। 7. सफल निविदाकार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि की **एफ.डी.आर.** नियमानुसार परफारमेंस गांरटी के रूप में संविदा के पूर्व जमा करना होगा। 8. शासन के निर्देशानुसार श्रमिको से संबंधित कार्यो हेतु श्रमिकों का **पी.एफ.** कटौती किया जाना हैं तथा बैंको में खाता खोलकर सीधे उनके बैंक खाते में श्रमायुक्त द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा किया जाना है। **09 शपथ पत्र।** 10. प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने पर पंजीयन निरस्त कर, काली सूची में दर्ज करने की कार्यवही की जावेगी। 11. यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जायेगा। 12. किसी भी विवाद स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। 13. ऐसे व्यक्तियों को जो किसी भी तरह के लिए पहले ठेके निश्चित समय और राशि कें पूरा करने में असफल हुए हो, को ठेका नहीं दिया जायेगा। 14. सभी दस्तावेज स्वयं प्रमाणित/नोटरी प्रमाणित होना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय एवं तिथि में कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जोन क्र.–02 वैशाली नगर तथा नगर पालिक निगम भिलाई की वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com अथवा संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in एवं चिप्स की वेबसाईट www.eproc.cgstate.gov.in और bhilai.urbanecg.gov.in से देखी जा सकती है।

जोन आयुक्त
जोन क्रमांक–02
नगर पालिक निगम, भिलाई